बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०2/नि०4–22/96 | 161 /पटना, दिनांकः– 01-06-23

कार्यालय आदेश

श्री राम कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बख्तियारपुर प्रखंड, पटना संप्रति सेवानिवृत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 6945/2017 में दिनांक–21.01.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सिंह को 8000/– (आठ हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक–11.04.2014 को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं तत्संबंधी निगरानी थाना कांड संख्या–031/2014 दिनांक–11.04.2014, धारा–7/13(2)सहपठित धारा 13(1)(डी०) भ्र०नि० अधि०, 1988 के प्राथमिक अभियुक्त रहने के कारण निदेशालय के का०आ०सं०–123 सहपठित ज्ञापांक–744 दिनांक–05.07.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत श्री राम कुमार सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया । उक्त विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । जिला पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक–2840/स्था० दिनांक–14.12.2021 द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस मामले में निदेशालय के का०आ०सं०–148 सहपठित ज्ञापांक–786 दिनांक–04.06.2014 द्वारा श्री राम कुमार सिंह के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. श्री राम कुमार सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र के द्वितीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

"(i). आपके द्वारा श्री सुबोध प्रसाद, पिता–चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम –बख्तियारपुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला– पटना से उनके पत्नी श्रीमती सोनी देवी के नाम से आवंटित इंदिरा आवास के निर्माण के लिए दूसरे किस्त के भुगतान हेतु 8000/– रिश्वत की मांग की गयी । श्री सुबोध कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के कार्यालय में दिनांक–07.04.2014 को आपके विरूद्ध रिश्वत मांगे जाने संबंधी शिकायत/परिवाद पत्र दाखिल किया गया। उक्त परिवाद पत्र के आलोक में निगरानी अन्वेषण के धावा दल द्वारा रिश्वत के रकम के साथ आपको गिरफ्तार किया गया। यह आपके विरूद्ध सरकारी सेवक आचार नियमावली का घोर उल्लंघन है।

(ii). रिश्वत की राशि रंगे हाथ पकड़े जाने के आलोक में आपके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–031/2014 दिनांक–11.04.2014 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (2) (क) के आलोक में हिरासत में जाने की तिथि से निलंबित किया गया था। इस मामले में

0457 स्था01 (का0आ0) (26 मई 2023).

निदेशालय के का०आ०सं० –148 सहपठित ज्ञापांक–786 दिनांक– 04.06.2014 द्वारा श्री राम कुमार सिंह के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त कृत कार्रवाई आपके घोर अनुशासहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं भ्रष्ट आचरण का परिचायक है।"

3. सचिव, जल संसाधन विभाग –सह–जाँच आयुक्त के ज्ञापांक–185/स०को० दिनांक–13.12.2022 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का विश्लेषण एवं जाँच परिणाम निम्नवत् है :–

"विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान आरोपित पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के पक्ष, साक्षी/गवाह की गवाही एवं अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध मुख्य रूप से श्री सुबोध प्रसाद, पिता–श्री चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम–बरियारपुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना से उनके पत्नी श्रीमती सोनी देवी के नाम से आवंटित इंदिरा आवास के निर्माण के लिए दूसरे किस्त के भुगतान के लिए ₹8000/– (आठ हजार)रूपये रिश्वत की मांग करने तथा निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक–11.04.2014 को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने का आरोप है, जिसके लिए उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–031/2014 दिनांक–11.04.2014 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में आरोप के संबंध में मुख्य रूप से कहा गया है कि वे ईमानदारी व कर्त्तव्यनिष्ठा के कारण दलाल के कोपभाजन का शिकार हुए हैं।

उक्त मामले से संबंधित परिवादी, श्री सुबोध कुमार (सुबोध प्रसाद) द्वारा परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के क्रम में बताया गया कि वे आवेश में आकर आरोपित पदाधिकारी, श्री राम कुमार सिंह के नाम से आवदेन निगरानी में दिये थे। साथ ही, परिवादी द्वारा कहा गया कि वे मैट्रिक पास हैं एवं पढ़ना–लिखना जानते हैं।

गवाह, श्री इंद्रजीत सिंह, तत्कालीन सहायक पुलिस अवर निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के क्रम में बताया गया कि इस मामले के परिवादी के परिवाद के वे सत्यापनकर्त्ता थे तथा परिवाद के सत्यापन के पश्चात् वे धावा दल में शामिल थे। साथ ही, गवाहों यथा– (1) श्री विजय प्रताप सिंह, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक –सह–धावा दल प्रभारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना (2) श्री योगेन्द्र पासवान, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना संप्रति सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक (3) श्री महेश कुमार, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना संप्रति सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक एवं (4) श्री इंद्रजीत सिंह, तत्कालीन सहायक पुलिस अवर निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के क्रम में बताया गया कि वे परिवादी के परिवाद के सत्यापन के पश्चात् धावादल में शामिल रहे हैं और दिनांक–11.04.2014 को आरोपित पदाधिकारी,श्री राम कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बख्तियारपुर, पटना को रिश्वत लेते हुए उनके द्वारा देखे जाने के पश्चात् गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, परिवादी, श्री सुबोध कुमार जो गवाही के समय उपस्थित थे, को पहचानते हैं।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना से स्पष्ट है कि श्री राम कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बख्तियारपुर, पटना के विरूद्ध परिवादी से रिश्वत मांगने एवं परिवादी से रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित होता है जो एक लोक सेवक के रूप में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

अंतिम निष्कर्ष :– आरोप पत्र में गठित सभी आरोप प्रमाणित।''

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोप पत्र में गठित सभी आरोप प्रमाणित, के समर्पित प्रतिवेदन पर श्री सिंह से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–97 दिनांक–12.01.2023 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गई। उक्त पर समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री सिंह ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

'' विभागीय कार्यवाही के सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा प्रस्ततु किये गये गवाहों (1) श्री धर्मेन्द्र साव, पिता–स्व० कामेश्वर साव, जो कि विजिलेंस के स्वतंत्र गवाह भी हैं, (2) श्री राम कृपाल सिंह, पिता–स्व० राम विकास सिंह एवं (3) श्री दिनानाथ सिंह, पिता– श्री जनार्दन सिंह को गवाही हेतु उपस्थापित कराया गया। परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में तीनों गवाहों द्वारा बताया गया कि बख्तियारपुर प्रखंड परिसर में दिनांक–11.04.2014 को सुबोध कुमार एवं उसके चचेरे भाई पवन कुमार के बीच विवाद चल रहा था। पवन कुमार द्वारा सुबोध कुमार को बतलाया गया कि उनका पैसा जो तुम उधार लिये हो वह राम कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को दे देना, वे उनसे पैसा ले लेंगे, क्योंकि तुम हमेशा पैसा के बारे में बहाना बना देते हो। उक्त विवाद के समय उपर्युक्त तीनों गवाह मौजूद थे जिन्होंने इसी संदर्भ में अपना गवाही सुनवाई के क्रम में दिनांक–08.07.2022 को दिया, जिसमें तीनों गवाह द्वारा उधार का पैसा सुबोध कुमार द्वारा राम कुमार सिंह को देने की बात गवाही में बतलाया गया है।

दिनांक–05.09.2022 को सुनवाई के क्रम में परिवादी जो केस का सूचक है, गवाह के रूप में श्री सुबोध कुमार, पिता–श्री चन्द्रिका प्रसाद, नया टोला, बरियारपुर, पोस्ट+थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना को गवाही हेतु उपस्थित कराया गया । परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में सुबोध कुमार द्वारा गवाही में बयान दिया गया कि राम कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक द्वारा उनसे इंदिरा आवास के द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु पैसे की मांग नहीं किया गया था। उनका काम प्रखंड में लंबित था, उनको लगा कि इंदिरा आवास का काम राम कुमार सिंह ही करते हैं । जबकि बाद में पता चला कि इंदिरा आवास का कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाता है। उनके द्वारा उनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं किया गया था। चूँकि उनका काम प्रखंड में लंबित था, इसलिए वे आवेश में आकर उनके विरूद्ध निगरानी में आवेदन दे दिये थे।

जाँच प्रतिवेदन में पूर्ण गवाही का जिक्र नहीं किया गया है। केवल आंशिक रूप से आवेश में आकर राम कुमार सिंह के विरूद्ध विजिलेंस में आवेदन देने की बात परिवादी द्वारा बतलाये जाने की बात जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया और एकतरफा निर्णय लेते हुए उनको दोषी करार दे दिया गया है तथा रिश्वत लेने को प्रमाणित कर दिया गया है। परिवादी (सूचक) के द्वारा दी गयी गवाही की प्रति उनके द्वारा

संचालन पदाधिकारी से मांग किया गया है, गवाही की प्रति उपलब्ध हो जाने पर वे उपस्थापित कर देंगे। वे दिनांक–31.07.2015 को सेवानिवृत हो गये हैं। उनके केस की सुनवाई निचली अदालत (विजिलेंस कोर्ट) में चल रहा है। उनको निचली अदालत से दोषी साबित नहीं किया गया है। उनके इलाज एवं जीवन–यापन के लिए एक मात्र सहारा उनका पेंशन ही है, पेंशन के अलावे उनके जीवकोपार्जन का कोई अन्य साधन नहीं है।"

साथ ही श्री राम कुमार सिंह द्वारा अलग से आवेदन देकर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सं० –48/2021 में सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाह (1) श्री धर्मेन्द्र साव, पिता–स्व० कामेश्वर साव, (2) श्री दिनानाथ सिंह पिता–श्री जनार्दन सिंह द्वारा दिये गये गवाही में कराये गये परीक्षण–प्रतिपरीक्षण की प्रति एवं दिनांक–05.09.2022 को सुनवाई के क्रम में परिवादी (सूचक) सुबोध कुमार, पिता– श्री चन्द्रिका प्रसाद, नया टोला, बरियारपुर, पोस्ट+ थाना–बख्तियारपुर, पटना द्वारा गवाह के रूप में दिये गये गवाही की अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उनके आवेदन के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–681 दिनांक–10.04.2023 द्वारा श्री सिंह के आवेदन में वर्णित गवाहों के गवाही की अभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक द्वारा उन्हें भेजा गया। साथ ही उन्हें निदेशित किया गया कि पत्र निर्गत की तिथि से दस दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें, लेकिन श्री सिंह से दुबारा अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री सिंह इस मामलें में दुबारा अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं।

श्री सिंह द्वारा पूर्व में समर्पित अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्हीं बातों को उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने अभ्यावेदन में किया गया है। इसके साथ ही श्री सिंह ने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि जाँच प्रतिवेदन में पूर्ण गवाही का जिक्र नहीं किया गया है। केवल आंशिक रूप से आवेश में आकर राम कुमार सिंह के विरूद्ध विजिलेंस में आवेदन देने की बात परिवादी द्वारा बतलाये जाने की बात जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया और एक तरफा निर्णय लेते हुए उन्हें दोषी करार दे दिया गया तथा रिश्वत लेने को प्रमाणित कर दिया गया।

जाँच आयुक्त –सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा उपस्थित कराये गये गवाह एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के गठित धावादल के सदस्यों जो इन्हें रिश्वत लेते हुए रिश्वत के रकम के साथ गिरफ्तार किये थे, की गवाही लेने के बाद एवं तथ्यों के समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें आरोप पत्र में गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री सिंह पर ₹8000/–रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने का आरोप है जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है। यह श्री सिंह के भ्रष्ट आचरण का परिचायक है। अतएव श्री सिंह का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राम कुमार सिंह, तत्कालीन

प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बख्तियारपुर प्रखंड, पटना संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(क) में किये गये प्रावधान के तहत आदेश निर्गत की तिथि से श्री राम कुमार सिंह के पूर्ण पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०2/नि०4–22/96 / 943 /पटना, दिनांक :– 01–06–23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–840 दिनांक–21.04.2014 एवं पत्रांक–2423 दिनांक–25.09.2014 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक (सां०) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सहायक निदेशक(स्थापना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. कोषागार पदाधिकारी, पटना/ पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. श्री राम कुमार सिंह तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बख्तियारपुर प्रखंड, पटना संप्रति संप्रति सेवानिवृत, पता–ग्राम–मलाहीबाढ़, थाना–बाढ़, जिला–पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"